न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 141/2020
3. उनवान : सरकार जरिये महेश शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. मैसर्स सन्नी गैस एजेन्सी, बीपीसीएल मालवीय नगर, जयपुर।
2. श्री रामगोपाल मीणा पुत्र श्री रामनाथ मीणा, निवासी सी–138, माडल टाउन मालवीय नगर जयपुर, डिलीवरीमैन मैसर्स सन्नी गैस एजेन्सी जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) श्री राजेन्द्र प्रसाद विजय अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक महेश शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 21.11.2012 को मैसर्स सन्नी गैस एजेन्सी के डम्पिंग पांइट पर जांच कार्यवाही के दौरान 28 सील्ड घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी जब्त किये गये। गैस एजेन्सी एवं हॉकर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण अस्थाई संग्रहण केन्द्र पर सडक पर रखकर किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 30.11.2012 को अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद विजय ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 11.12.2012 को जवाब पेश किया। जवाब में अंकित किया गया है कि कम्पनी के डिलीवरीमैन द्वारा सिलेण्डर वितरित किये जाने वाले ट्रैक्टर–ट्रौली की कमानी टूट जाने के कारण सिलेण्डर जमीन पर रखे गये थे। एजेन्सी द्वारा ना तो घरेलू सिलेण्डरों की ब्लेक मार्केटिंग की जाती है और ना ही रिफिलिंग की जाती है। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र को ही लिखित बहस मानने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 21.11.2012 को जब्त सामान का अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण अस्थाई संग्रहण केन्द्र पर सडक पर खुले स्थान पर रखकर किया जा रहा था। जो कि नियमानुसार नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। चूंकि एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु है इसलिये सुरक्षा की दृष्टि से भी घरेलू सिलेण्डरों का खुले में सडक पर रखा जाना उचित व द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। जिससे उक्त प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। सिलेण्डरों का सडक पर रखने का कोई सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान (फर्दानुसार) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।